राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. एफ 15-07-2016-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिये कॉलम नं. (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

क्रमांक	ग्राम का नाम प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये
		प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01	01. मूल ग्राम रंगारी	अधीक्षक, भू–अभिलेख,
	02. रंगारी ठोका,	जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.
	प.ह.नं. 39.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **किरण मिश्रा**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. एफ 15-07-2016-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-07-2016-सात-6, दिनांक 24 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 24th January 2017

No. F. 15-07-2016-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil-Sausar, District-Chhindwara

Serial No.	Name of village(s)with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01	01. Original Village Rangari	Superintendent of Land Records
	02. New Village Rangari Thoka,	(regular),
	P.C.No. 39.	District -Chhindwara.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KIRAN MISHRA, Dy. Secy.